न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 98 / 2025	14–07–2025	16.07.2025

1–सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

1–हेमचन्द उर्फ कालीया पुत्र रामप्रताप जाति गुर्जर निवासी ग्राम गुजरीवास थाना कोटकासिम, तहसील कोटकासिम, जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अप्राथी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत जारी आदेश मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदार्थ और वितरण का विनियम और अनाचार निवारण) आदेश 2025 के खण्ड 2 च (5) (6) (7) तथा बिन्दूं 3 के क्लॉज 4, 6, 7 व खण्ड 4 का स्पष्ट उल्लघंन

उपस्थितः–

1–विभागीय प्रतिनिधि — जिला रसद अधिकारी

––:: निर्णय ::––

राकेश सोनी जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा (राजस्थान) की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत जारी आदेश मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदार्थ और वितरण का विनियम और अनाचार निवारण) आदेश 2025 के खण्ड 2 च (5) (6) (7) तथा बिन्दू 3 के क्लॉज 4, 6, 7 व खण्ड 4 का स्पष्ट उल्लघंन पाये जाने पर प्रकरण में जप्त शुंदा 2400 लीटर पट्रोलियम पदार्थ मय 10 प्लास्टीक ड्रम तथा पिकअप नम्बर एच. आर. 47 एफ 0391 का निस्तारण किये जाने हेतु पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है, कि दिनाक 10.06.2025 को थानाधिकारी कोटकासिम से सूचना मिली की गुजरीवास रोड पर दौराने गश्त एक पिकअप रोकी गयी। जिसमे तलाशी लेने पर पट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया है, जिसकी जॉच की जावे। मुताबिक सूचना थाना परिसर कोटकासिम मौके पर पहुच कर जॉच करायी गयी। मौके पर एक हरियाणा नम्बर की पिकअप रंग सफेद रजिस्ट्रेशन न0 एच. आर. 47 एफ 0391 है। खडी पाई गयी पिकअप के पिछे डाला बना है, जिस पर लोहे का गेट लगा है। पिकअप के डाले में देखे जाने पर प्लास्टीक के दस ड्रम पाए गये। जिनमें प्रथम द्रष्टया पट्रोलियम पदार्थ भरा होना पाया। मौके पर पूछने पर पुलिस के जॉच अधिकारी ने बताया कि पिकअप अप्रार्थी हेमचन्द चला रहा था, जो वक्त मौके पर ही मौजुद था। हेमचन्द ने बताया कि ड्रमो में भरा पट्रोलियम पदार्थ है, तथा कुल 2400 लीटर है। हेमचन्द से उक्त पट्रोल परिवहन के संबंध में अनुज्ञापत्र अथवा राजकीय परमिट मांगने पर उसने कोई वैध दस्तावेज स्वंय के पास होने से इंकार किया। मौके पर एक बाल्टी मंगाकर एक पाईप से सभी ड्रमो में रखे पदार्थ को थोडा–थोडा निकाल कर 750 मिली0 की खाली कांच की तीन बोतलो को साफ धोकर सुखाया गया व इसी बाल्टी में संग्रहीत पदार्थ से भी अन्दर से साफ किया गया। उक्त प्रक्रिया के बाद तीनो कांच की बोतलो में उक्त द्रवित पट्रोलियम पदार्थ 750–750 मिली0 भरा गया तथा उन पर कस कर ढक्कन लगाया गया ताकि पट्रोलियम पदार्थ लीक न हो सके। तीनो बोतलो के ढक्कन पर कपडा लगाकर धागे से कसकर

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

बांधा गया व गांठ लगाई तथा बोतलो को सील चपडी भरी तीनो बोतलो पर फर्द सैम्पल की पर्चीया चस्पा की गयी व फर्द सैम्पल/फर्द मौका तैयार की गयी। अप्रार्थी हेमचन्द का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत जारी आदेश मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (पदार्थ और वितरण का विनियम और अनाचार निवारण) आदेश 2025 के खण्ड 2 च (5) (6) (7) तथा बिन्दू 3 के कलॉज 4, 6, 7 व खण्ड 4 का स्पष्ट उल्लघंन है। 2400 लीटर पट्रोलियम पदार्थ मय 10 प्लास्टीक ड्रम तथा पिकअप नम्बर एच. आर. 47 एफ 0391 को जप्त किया गया। जप्तशुदा पट्रोल ड्रम व पिकअप मालखाना प्रभारी गिरधारी लाल हैड कास्टेबल (28) को सुरक्षा की द्रष्टी से सुपुर्दगी में दिया गया। अप्रार्थी का कृत्य ई. सी. एक्ट. 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 178/2025 धारा 3/7 ई. सी. एक्ट. थाना कोटकासिम में दर्ज करायी गयी है। प्रार्थना पत्र 6 ए का पेश कर निवेदन है, कि प्रकरण में जप्तशुदा पट्रोलियम पदार्थ Highly Inflammable व Perishable Item की श्रेणी में आता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर जप्तशुदा सामग्री का अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिये जावे।

अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया है, किन्तु अप्रार्थी आदिनाक तक उपस्थित नही हुआ। थाना अधिकारी पुलिस थाना कोटकासिम के द्वारा जर्ये पत्राक दिनाक 09.07.2025 के प्रकरण में जप्तशुदा 2400 लीटर पट्रोलियम पदार्थ मय 10 प्लास्टीक ड्रम जो थाना परिसर कोटकासिम में मालखाना प्रभारी गिरधारी लाल हैड कास्टेबल (28) को सुपुर्दगी में दिया गया है, प्रकरण में जप्तशुदा पट्रोलियम पदार्थ Highly Inflammable व Perishable Item की श्रेणी में आता है। जिसका अन्तरिम निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया है।

विभागीय प्रतिनिधी उपस्थित। बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया है, कि दिनाक 10.06.2025 को थानाधिकारी कोटकासिम से सूचना मिली की गुजरीवास रोड पर दौराने गश्त एक पिकअप रोकी गयी। जिसमे तलाशी लेने पर पट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया है, जॉच की जावे। मुताबिक सूचना के थाना परिसर कोटकासिम मौके पर पहुच कर जॉच की गयी मौके पर एक हरियाणा नम्बर की पिकअप रंग सफेद रजिस्ट्रेशन न0 एच. आर. 47 एफ 0391 है। पिकअप के डाले में देखे जाने पर दस ड्रम पाए गये जिनमें प्रथम द्रष्टया पट्रोलियम पदार्थ भरा पाया। मौके पर पूछने पर पुलिस के जॉच अधिकारी ने बताया कि पिकअप अप्रार्थी हेमचन्द चला रहा था, जो वक्त मौके पर ही मौजुद था। अप्रार्थी ने बताया कि ड्रमो में भरा पट्रोलियम पदार्थ है, तथा कुल 2400 लीटर है। अप्रार्थी से उक्त पट्रोल परिवहन के संबंध में अनुज्ञापत्र अथवा राजकीय परमिट मांगने पर उसने कोई वैध दस्तावेज स्वंय के पास होने से इंकार किया। मौके पर एक बाल्टी मंगाकर एक पाईप से सभी ड्रमो में रखे पदार्थ को थोडा–थोडा निकाल कर 750 मिली0 की खाली कांच की तीन बोतलो को साफ धोकर सुखाया गया व इसी बाल्टी में संग्रहीत पदार्थ से भी अन्दर से साफ किया गया। उक्त प्रकिया के बाद तीनो कांच की बोतलो में उक्त द्रवित पट्रोलियम पदार्थ 750–750 मिली0 भरा गया तथा उन पर कस कर ढक्कन लगाया गया ताकि पट्रोलियम पदार्थ लीक न हो सके। तीनो बोतलो के ढक्कन पर कपडा लगाकर धागे से कसकर बांधा गया व गांठ लगाई तथा बोतलो को सील चपडी भरी तीनो बोतलो पर फर्द सैम्पल की पर्चीया चस्पा की गयी व फर्द सैम्पल/फर्द मौका तैयार की गयी। अप्रार्थी हेमचन्द का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत जारी आदेश मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (पदार्थ और वितरण का विनियम और अनाचार निवारण) आदेश 2025 के खण्ड 2 च (5) (6) (7) तथा बिन्दू 3 के कलॉज 4, 6, 7 व खण्ड 4 का स्पष्ट उल्लघंन है। 2400 लीटर पट्रोलियम पदार्थ मय 10 प्लास्टीक ड्रम तथा पिकअप नम्बर एच आर 47 एफ 0391 को जप्त किया गया। जप्तशुदा पट्रोल ड्रम व पिकअप मालखाना प्रभारी गिरधारी लाल हैड कास्टेबल (28) का सुरक्षा की द्रष्टी से सुपुर्दगी में दिया गया। अप्रार्थी का कृत्य ई.सी.एक्ट. 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीयय अपराध है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 178/2025 थाना कोटकासिम में दर्ज करायी गयी है। प्रार्थना पत्र 6 ए का स्वीकार कर निवेदन है, कि प्रकरण में जप्तशुदा पट्रोलियम पदार्थ Highly Inflammable व Perishable Item की श्रेणी में आता है। प्रकरण का विधिवत निस्तारण करने की कार्यवाही की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। एंव विभागीय प्रतिनिधी की बहस का मनन किया। उक्त प्रकरण में जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा द्वारा दिनाक 10.06.2025 को थाना परिसर में वाहन पिकअप रजिस्ट्रेशन न0 एच. आर. 47 एफ 0391 को जप्त कर जॉच की गयी। मौके पर

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

2400 लीटर पट्रोलियम पदार्थ मय 10 प्लास्टीक ड्रम जप्ती की कार्यवाही की गयी है, तथा जप्त सामग्री सुरक्षा की द्वष्टि से थाना परिसर कोटकासिम में मालखाना प्रभारी गिरधारी लाल हैड कास्टेबल (28) को सुपुर्दगी में दिया गया है। जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा द्वारा उक्त प्रकरण में दिनाक 10.06.2025 को की गयी कार्यवाही से स्पष्ट जाहिर है, कि अप्रार्थी हेमचन्द का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत जारी आदेश मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (पदार्थ और वितरण का विनियम और अनाचार निवारण) आदेश 2025 के खण्ड 2 च (5) (6) (7) तथा बिन्दू 3 के कलॉज 4, 6, 7 व खण्ड 4 का स्पष्ट उल्लघंन है। ई. सी. एक्ट. 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीयय अपराध है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 178/2025 थाना कोटकासिम में दर्ज करायी गयी है। जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा द्वारा विधिवत जॉच कर विधिक प्रावधानुसार 2400 लीटर पट्रोलियम पदार्थ मय 10 प्लास्टीक ड्रम जप्ती की कार्यवाही की गयी है, ऐसी स्थिति में जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है, प्रकरण में 2400 लीटर पट्रोलियम पदार्थ मय 10 प्लास्टीक ड्रम को थाना परिसर कोटकासिम में मालखाना प्रभारी गिरधारी लाल हैड कास्टेबल (28) को सुपुर्दगी में दिया गया है, से वापिस प्राप्त कर नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण की कार्यवाही की जावे। 2400 लीटर पट्रोलियम पदार्थ मय 10 प्लास्टीक ड्रम पट्रोलियम पदार्थ को वर्तमान बाजार दर से सम्बधित पेट्रोल कम्पनी को विक्रय किया जाकर राशि अमानतन हैड में जमा कोष करायी जावे। उक्त आदेश 3/7 की कार्यवाही के अध्याधीन रहेगा। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा (राजस्थान) को पालनार्थ भिजवायी जावे। पालना में की गयी कार्यवाही से न्यायालय हाजा को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा